



प्रेषक,

हरीश कुमार,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद,

उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक-21.09.2026

विषय:-उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-93/UPSAHC/2026-27, दिनांक-22.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित बजट ₹ 150.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-031 के अधीन राजस्व लेखा शीर्ष **लेखा शीर्षक 2210051050395 यू.पी. स्टेट एलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउंसिल** के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 150.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्त विभाग की विहित व्यवस्था के क्रम में रुपये 50.00 लाख (पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किस्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
4. धनराशि को कोषागार से उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 की यदि अप्रयुक्त धनराशि है, तो उसका समयोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050395 यू.पी. स्टेट एलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउंसिल मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय , 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय , 30प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0 प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, जवाहरभवन, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
9. नोडल अधिकारी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।